A 6/7

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

आसीन अधिकारी–	अमानुल्लाह खान, आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
01/अपील/16	06.01.2016	28.02.2022

1. लक्ष्मण आ0 स्व0 जगन्नाथ जाति कोली।
2. घीसी बाई पत्नी स्व0 जगन्नाथ जाति कोली निवासीगण वार्ड नं. 11, देई तहसील नैंनवा जिला बून्दी। (मृत्यु होने से नाम विलोपित)

–अपीलान्ट

बनाम

1. अमरी बाई पुत्री माधोलाल पत्नी मोती जाति कोली निवासी देव स्कूल के पास, गत्ता फैक्ट्री, कंसुआ, कोटा।
2. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार देई तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

–रेस्पोडेन्ड

उपस्थित–

अपीलान्ट संख्या 1 व 2 की ओर से – श्री नवेद केसर एड0
रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से – पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील नायब तहसीलदार देई तहसील नैंनवा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2711 दिनांक 25.05.1999 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण से कृषि भूमि खसरा सख्या 91/4306 रकबा 2 बीघा 3 बीस्वा, 4295/4488 रकबा 2 बीघा, 4297/4491 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम देई मृतक खातेदार जगन्नाथ के स्थान पर अपीलान्ट लक्ष्मण आ0 जगन्नाथ, घीसी बेवा जगन्नाथ, ग्यारसी, अमरी, गणेशी पुत्रियां जगन्नाथ का नाम दर्ज किया गया हैं। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती अमरी बाई बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से इसके विरूद्ध दिनांक 11.01.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश प्रदत्त किये गये।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित कृषि भूमि खसरा सख्या 91/4306 रकबा 2 बीघा 3 बीस्वा, 4295/4488 रकबा 2 बीघा, 4297/4491 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम देई पटवार क्षेत्र देई तहसील नैंनवा जिला बून्दी में स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि स्वर्गीय जगन्नाथ वल्द माधो जाति कोली निवासी देई के खाते में अंकित थी। जगन्नाथ के स्वर्गवास के उपरान्त दिनांक 25.05.1999 को फौत नामान्तरकरण तस्दीक करते हुये स्वर्गीय जगन्नाथ के पुत्र अपीलांट लक्ष्मण, बेवा घीसी बाई के साथ ग्यारसी बाई, अमरी

A 6/2

[illegible] बाई को स्वर्गीय जगन्नाथ की पुत्रियां बताते हुये उनका नाम भी नामान्तरकरण [illegible]त कर दिया। नायब तहसीलदार देई द्वारा ग्यारसी बाई, अमरी बाई व गणेशी बाई [illegible] स्वर्गीय जगन्नाथ की पुत्रियां नहीं होने के उपरान्त भी उनका स्वर्गीय जगन्नाथ के फौत नामान्तरकरण में तस्दीक करने में कानूनी भूल की हैं। ग्यारसी बाई, अमरी बाई व गणेशी बाई माधोलाल की पुत्रियां हैं जो स्वर्गीय जगन्नाथ की पुत्रियां न होकर के उनकी बहनें हैं। जिनका नाम कानूनन रूप से स्वर्गीय जगन्नाथ के फौत नामान्तरकरण में अंकित नहीं किया जा सकता था। इसके उपरान्त भी स्वर्गीय जगन्नाथ के फौत नामान्तरकरण में जगन्नाथ की बहनों का नाम अंकित करने पर नायब तहसीलदार देई द्वारा कानूनी भूल की हैं। नायब तहसीलदार देई द्वारा स्वर्गीय जगन्नाथ के वारिसान के जांच किये बिना अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना विवादित नामान्तरकरण तस्दीक किया हैं। उक्त नामान्तरकरण विकास शिविर नैंनवा में तस्दीक किया गया था। नायब तहसीलदार देई द्वारा ग्यारसी बाई, अमरी बाई व गणेशी बाई का नाम स्वर्गीय जगन्नाथ के फौत नामान्तरकरण में जगन्नाथ की पुत्रियां बताते हुये तस्दीक किया हैं जो गलत हैं, जगन्नाथ के कोई पुत्रियां नहीं हैं। विवादित भूमि स्वर्गीय जगन्नाथ को राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई हैं। जगन्नाथ के एक मात्र पुत्र लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण के अलावा घीसी बाई स्वर्गीय जगन्नाथ की बेवा हैं जिनका नाम ही स्वर्गीय जगन्नाथ के फौत नामान्तरकरण में तस्दीक किया जाना चाहिऐ था। ग्यारसी बाई, अमरी बाई व गणेशी बाई में से ग्यारसी बाई एवं गणेशी बाई का स्वर्गवास हो चुका हैं। इसलिए उक्त अपील में अमरी बाई को ही रेस्पो0 बनाया हैं। विवादित नामान्तरकरण दिनांक 25.05.1999 में से ग्यारसी बाई, अमरी बाई व गणेशी बाई का नाम विलोपित किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अपील को उक्त नामान्तरकरण आदेश सर्वप्रथम जानकारी माह दिसम्बर 2015 में हल्का पटवारी से हुई। अपीलांट द्वारा जानकारी होने पर नामान्तरकरण की नकल हेतु दिनांक 30.12.2015 को आवेदन किया। नामान्तरकरण की नकल दिनांक 30.12.2015 को प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा जानकारी प्राप्त होते ही जमाबंदी की नकल प्राप्त कर नामान्तरकरण आदेश हेतु तहसीलदार नैंनवा के यहां नकल प्रार्थना पत्र पेश किया। नकल प्राप्त होने पर ज्ञान की तिथि से अपील अंतर्गत अवधि मध्य प्रस्तुत हैं यदि अपील को पेश करने में विलम्ब माना जाता हैं तो अपील के साथ धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अपील के साथ पृथक से प्रस्तुत हैं। विलम्ब को क्षम्य किया जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार नैंनवा द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश दिनांक 25.05.1999 खारिज किया जावें।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में व्यक्त किया कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना न्यायोचित होगा।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णित किया जाना उचित समझते है,जहां अपील में पक्षकारान के सारभूत तथ्य निहित हो वहां अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर गुजरी अवधि को मुजरा किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश दिनांक 25.05.1999 से मृतक जगन्नाथ के स्थान पर अपीलान्ट लक्ष्मण आ0 जगन्नाथ, घीसी बेवा जगन्नाथ, ग्यारसी, अमरी, गणेशी पुत्रियां जगन्नाथ का नाम दर्ज किया गया हैं। अपीलांट का मुख्य तर्क यह हैं कि मृतक जगन्नाथ के विधिक वारिस लक्ष्मण पुत्र एवं बेवा घीसी

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

ारसी बाई, अमरी बाई व गणेशी बाई जगन्नाथ की पुत्रियां नहीं होकर उनकी ... । विवादित नामान्तरकरण संख्या 2711 दिनांक 25.05.1999 के अवलोकन से विदित् ...ता हैं कि कॉलम संख्या 9 में जगन्नाथ के वारिस लक्ष्मण, घीसी का नाम अंकित कर पुनः कांट–छांट कर ग्यारसी बाई, अमरी बाई, गणेशी बाई के नाम का अंकन किया गया हैं, जिससे यह प्रकट होता हैं कि प्रकरण के संबंध में बिना विधिक जांच किये ही आदेश प्रदत्त किये गये हैं जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होते हैं। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुये इस संबंध में प्रकरण का पुनः परीक्षण अधीनस्थ न्यायालय से करवाया जाना उचित समझते हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील सारवान पाऐ जाने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.1999 को निरस्त किया जाता हैं साथ ही प्रकरण को इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक जगन्नाथ के सभी विधिक वारिसान को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये संपूर्ण विधिक जांच कर नये सिरे से अपना निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान)
अति० जिला कलक्टर,
बूंदी